<u>संशोधन आदेश</u>

<u>संख्या- 140 /2019 / 2463 /चार-2019</u>

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

<u>संस्कृति अनुभाग:</u> <u>लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2019</u>

विषय:- संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के योजनान्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संग्रहालय निर्माण हेतु राज्यांश हेतु निर्गत धनराशि के शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 2019 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-123/2019/1316/चार-2019 दिनांक 19 अगस्त, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-123/2019/1316/चार-2019 दिनांक 19 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-6 में टंकण त्रुटिवश अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय, 106 संग्रहालय-12- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संग्रहालय के कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य मद उल्लिखित हो गया है" के स्थान पर " अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति- 106 संग्रहालय-12- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संग्रहालय के कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य " पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-123/2019/1316/चार-2019 दिनांक 19 अगस्त, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

<u>संख्या-140 /2019 / 2463 /चार-2019तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. रजिस्ट्रार (लेखा) , मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद।
4. आहरण वित्तरण अधिकारी, राज्य संग्रहालय, लखनऊ
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/